

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर.  
क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.) / डीएलबी/ 25/594

दिनांक: २१/१२/२५

### आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 16.12.2024 द्वारा श्रीमती मेघा वर्मा पार्षद वार्ड संख्या 23 को नगर परिषद सर्वाईमाधोपुर मे सभापति पद का कार्यभार 60 दिवस से कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया गया था।

उक्त आदेश की निरंतरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती मेघा वर्मा पार्षद वार्ड संख्या 23 को नगर परिषद सर्वाईमाधोपुर के सभापति पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.) / डीएलबी/ 25/594 - 605      दिनांक: २१/१२/२५

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर/जिला कलकटर सर्वाईमाधोपुर।
- निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
- उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
- उपखण्ड अधिकारी, सर्वाईमाधोपुर।
- आयुक्त, नगर परिषद, सर्वाईमाधोपुर।
- प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
- सुरक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digital Signed by Hinderjeet Singh

Designation: Director

Date: 2025.02.21 12:16:08 IST

Reason: Approved

